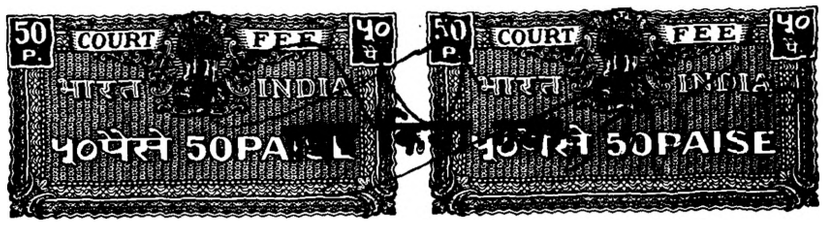

1

एस0सी0एस0नं0
Ex 1270/95

प्रतिलिपि ~~मातेपत्रा~~ पल्टन मल्लाह -- की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्तिकान्त मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोहरई मल्लाह,
साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र वंश सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टेडू आ0 रवेल सिंह टेडू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

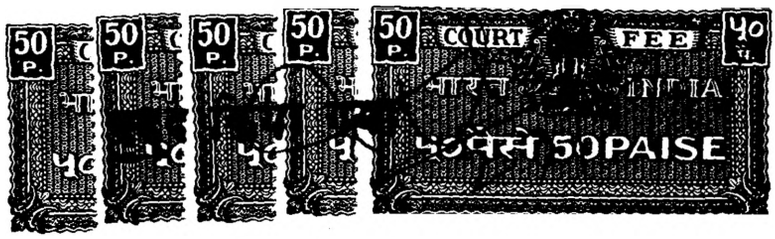

2.50

न्यायालय: - व्दितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

। समक्ष: - श्री जे0के0एस0राजपूत ।

सत्र प्र0क्र0- 233/92

:: आरोप-पत्र ::

मैं जे0के0एस0राजपूत, व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0। तुम पलटन मल्लाह उर्फ रवि मल्लाह आ0 नोखाई मल्लाह पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं :-

प्रथम :- यह कि आपने ~~हुडको कॉलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या उसके लगभग प्रातः 3.45 बजे~~ या उसके लगभग [आरोपी] नूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत गौड़, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश रॉय, अभयकुमारसिंह, चंद्रबख्शसिंह, बलदेवसिंह एवं ~~[illegible] मल्लाह~~ के साथ आपसी सहमति व्दारा शंकर गुहा नियोगी की हत्या का षड्यंत्र रचा, जो एक अवैध कार्य था या उसे अवैध साधनों व्दारा कारित करने के लिये करार किया था या उस सहमति के अनुसरण में शंकर गुहा नियोगी की हत्या की गई और इस प्रकार आपने एक ऐसा कार्य किया, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा ।20।बी। सहपठित धारा 302 के अधीन एक दंडनीय अपराध है तथा इसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

[हस्तलिखित हाशिया टिप्पणी: ... दुर्ग (म0प्र0) में ... 28-9-91 को प्रातः 3.45 बजे हुडको कॉलोनी, दुर्ग में ... [illegible]]

व्दितीय :- यह कि आपने हुडको कॉलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या उसके लगभग प्रातः 3.45 बजे या उसके लगभग शंकर गुहा नियोगी की मृत्यु साशय अथवा यह जानकारी रखते हुये कारित कर हत्या का अपराध किया और आपने ऐसा कार्य किया, जो कि भा0दं0वि0 की धारा 302 के अधीन दंडनीय है, जिसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को है ।

विकल्प

यह कि आपने हुडको कॉलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या उसके लगभग प्रातः 3.45 बजे या उसके लगभग सह-अपराधी ज्ञानप्रकाश मिश्रा के साथ शंकर गुहा नियोगी की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया, जिसे अग्रसर करने में तुमने शंकर गुहा नियोगी को गोली मारकर मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध किया और ऐसा करने से आपने धारा 302 सहपठित धारा 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

...2

तृतीय :- यह कि आपने उक्त दिनांक, स्थान एवं प्रसंग में आग्नेय अस्त्र (पिस्टल) देशी कट्टा मय 13 कारतूस .12 बोर तथा विदेशी रिवाल्वर (यू०एस०ए०मेक) मय 6 कारतूस .38 बोर के अवैध कब्जे में बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये थे, जो आपके पास से घटना के बाद दिनांक 24-8-93 को ग्राम निचाही, थाना रुद्रपुर, जिला-देवरिया, यू०पी० में आपके निशादेही पर बरामद किया गया और ऐसा करने से आपने धारा 25(1)(ए) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया, जिसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को है।

चतुर्थ :- यह कि आपने उक्त दिनांक, स्थान एवं प्रसंग में शंकर गुहा नियोगी की हत्या में, जो कि अवैधानिक कार्य है देशी कट्टा, रिवाल्वर व कारतूस का प्रयोग किया, जो कि धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को है।

अतएव मैं आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

(हस्ताक्षर)
(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म०प्र०)

दिनांक:- 2-5-94

अभियुक्त को उक्त आरोपों को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने कथन किया कि :- अपराध नहीं किया है

(हस्ताक्षर)
(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

दिनांक:- 2-5-94

सत्यप्रतिलिपि
(हस्ताक्षर) 23/5/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

4-5-95
8-5-95
23-5-95
4-5-95
22-5-95
23-5-95
23-5-95
23-5-95
23-5-95
23-5-95